श्री योगी आदित्यनाथ
मा. मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (सीएम –एनएसवाई)

योजना दिशा–निर्देश

सितम्बर–2022

श्री राकेश राठौर 'गुरु'
राज्य मंत्री

श्री ए. के. शर्मा
मंत्री

नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार व गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रस्तावना

किसी भी देश की आर्थिक उन्नति में नगरों का सर्वाधिक योगदान होता है। विगत कुछ वर्षों में देश एवं प्रदेश में नगरीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति एवं जन आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जन सामान्य को आवश्यक मूलभूत सुविधायें प्रदान करने एवं शहरों के कायाकल्प के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न जनोपयोगी कार्यक्रमों व योजनाओं का शुभारम्भ किया गया है।

हमारे नगर अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करते है। उत्तर प्रदेश भारत वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या के साथ ही सर्वाधिक नगरीय निकायों वाला प्रदेश भी है। प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विगत वर्षों में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए 113 नई नगर पंचायतें बनाई गई हैं। 72 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया है। 47 नगर पालिका परिषदों का सीमा विस्तार करते हुये 04 नगर पालिकाओं को गठित/उच्चीकृत किया गया है। इसके अलावा 10 नगर निगमों का सीमा विस्तार का कार्य किया गया है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में 763 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं।

राज्य के नवसृजित नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध वर्तमान सामाजिक और नागरिक सुविधाओं का आंकलन करते हुए राज्य के विस्तारित नगरीय क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है। इस उद्देश्य से नये/उच्चीकृत/विस्तारित नगरीय निकायों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता स्तर में सुधार हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधाएं यथा मार्ग निर्माण एवं जल निकासी, स्ट्रीट लाईट, सामुदायिक केन्द्र, व्यापारिक क्षेत्र का विकास, प्रमुख क्षेत्रों का विकास, स्कूल एवं ऑगनबाड़ी केन्द्र, कार्यालय भवन , नागरिक सुविधा केन्द्र के रूप में नगर निगम के जोनल ऑफिस आदि का समग्र विकास करते हुए इन ग्रामीण क्षेत्रों को नगर के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (सीएम–एनएसवाई नव सृजित/उच्चीकृत / सीमा विस्तारित शहरी निकायों के लिए) प्रारम्भ की गयी है।

विषय सूची

1. संदर्भ....4
2. सीएम–एनएसवाई सिद्धांत एवं उद्देश्य....5
3. प्रमुख क्षेत्र....6
4. कार्यक्षेत्र....6
5. योजना के घटक....7
6. रणनीति और दृष्टिकोण....10
7. कार्यान्वयन पद्धति....12
8. वित्त पोषण....17
9. फंडिंग पैटर्न....18
10. सीएम–एनएसवाई योजना का अनुश्रवण....18
11. क्षमता निर्माण की गतिविधियां....19
12. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)....21

मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (सीएम–एनएसवाई)

योजना दिशा–निर्देश

संदर्भ

(1.1) 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश 19.95 करोड़ की कुल आबादी के साथ भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसमें 15.51 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में और 4.45 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इस प्रकार, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.50% और भारत की कुल शहरी जनसंख्या का लगभग 11.8% उत्तर प्रदेश में निवास करती है।

Fig.a- जनसंख्या दशकीय वृद्धि

2001–2011 दशक की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या 28.75 प्रतिशत है। 2022 तक राज्य की शहरी आबादी 5.83 करोड़ होने का अनुमान है जिसका तात्पर्य है कि 2001–2011 के दौरान 1.09 करोड़ शहरी आबादी की वृद्धि की तुलना में 2011–2021 के दौरान 1.38 करोड़ की वृद्धि होगी।(Source-uptownplanning.gov.in)

(1.2) राज्य में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति से स्पष्ट है कि बड़े शहर (विशेष रूप से दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर) अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें 2011 में राज्य की कुल शहरी आबादी का लगभग 60% शामिल है। बड़े शहरों में जनसंख्या का जमाव रोजगार और आजीविका के अवसर का स्थानिक ध्रुवीकरण होने के कारण हुआ है। इसके साथ ही बड़े शहरों में उच्च जनसांख्यिकीय वृद्धि के कारण शहरी संरचना अस्थिर Top-Heavy होती जा रही है, जो अपने मजबूत आर्थिक और आधारभूत संरचना के कारण सम्पूर्ण राज्य से जनशक्ति को आकर्षित करती है।

(1.3)राज्य में शहरीकरण में वृद्धि के दृष्टिगत अधिक समावेशी विकास अनिवार्य है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का संकेन्द्रण और घनत्व आर्थिक दक्षता को प्रोत्साहित करता है और आजीविका के अधिक अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार शहरीकरण बिखरे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान सम्भावनाओं की तुलना में उद्यमिता और रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है। शहरीकरण आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को तेजी से शामिल कर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है।

(1.4) पिछले पांच वर्षों में बढ़ती शहरी आबादी को मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनके सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से **113 नई नगर पंचायतें** बनाई गई हैं। **72 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार** किया गया है। **47 नगर पालिका परिषदों का सीमा विस्तार करते हुये 04 नगर पालिकाओं को गठित/उच्चीकृत** किया गया है। इसके अलावा **10** नगर निगमों का भी सीमा विस्तार/उच्चीकरण (3 नये नगर निगमों का गठन शामिल) किया गया है।

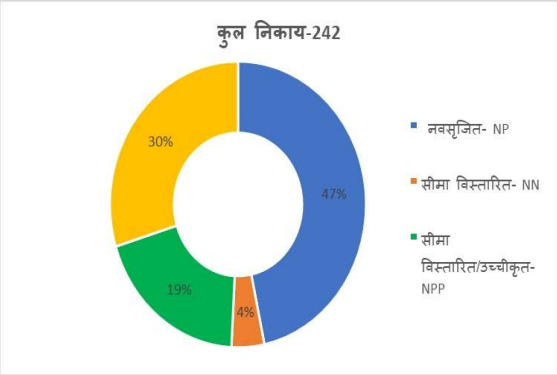

Fig. 1.a. नव सृजित/उच्चीकृत/विस्तारित निकायो का विवरण

वर्तमान में, **उत्तर प्रदेश में 763 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं।** उक्त के अतिरिक्त अन्य नये नगरीय निकायों के गठन एवं सीमा विस्तार का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(1.5) राज्य के शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध वर्तमान सामाजिक और नागरिक सुविधाओं का आंकलन करने और राज्य के शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे को और सुदृढ करने की तत्काल आवश्यकता है। इस उद्देश्य से नये/उच्चीकृत/विस्तारित नगरीय निकायों में नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधाएं यथा रोड नेटवर्क, स्ट्रीट लाईट, जल निकासी, मुख्य चौराहों का विकास, स्कूल एवं आगनबाड़ी केन्द्रों आदि का समग्र विकास करते हुए इन ग्रामों को शहर के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उददेश्य से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (सीएम–एनएसवाई नव सृजित/उच्चीकृत/विस्तारित शहरी निकायों के लिए) प्रारम्भ की गयी है।

सीएम–एनएसवाई सिद्धांत एवं उद्देश्य

(2.1) शहरी स्थानीय निकायों का मुख्य कार्य अपने क्षेत्रान्तर्गत बुनियादी सामाजिक और

Fig.2.a- सीएम–एनएसवाई के उद्देश्य

नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमे स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक पार्कों/खुले हरित क्षेत्रों आदि का विकास, सामुदायिक केंद्र निर्माण, परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत संरचना, नगर पंचायत के कार्यालय भवन, जोनल ऑफिस आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण/उच्चीकरण आदि सम्मिलित है। इस हेतु सीएम–एनएसवाई निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रारम्भ की जा रही है :

(i)<u>सशक्त निकाय (Empower)</u>:– राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए बुनियादी नागरिक और सामाजिक सुविधाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए नवसृजित/विस्तारित/उच्चीकृत नगर निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

(ii)<u>सुनिश्चित बजट एवं नियोजन (Ensure)</u>:– शहरी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की चल रही योजनाओं/मिशनों के साथ डवटेलिंग (Dovetailing) और कन्वर्जेन्स (Convergence) से बजट व्यवस्था सुनिश्चित करना। नियोजन की संकल्पना के माध्यम से विकास योजनाएं तैयार कराना।

(iii) <u>सुदृढ विकास (Enhance)</u> :–सुदृढ़ विकास के माध्यम से राज्य के शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।

प्रमुख क्षेत्र

उक्त योजनान्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर निकाय द्वारा कार्यों का चयन किया जायेगा:–

Fig.3.a- प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिकता

कार्यक्षेत्र

(4.1) यह योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2022–23 के मध्य नवसृजित/सीमाविस्तारित/उच्चीकृत शहरी स्थानीय निकायों पर लागू होगी (कुल निकाय–242)। उक्त समयावधि के उपरान्त नवसृजित/सीमाविस्तारित/उच्चीकृत किए गए नगरीय निकाय भी योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(4.2) नागर निकायों को उनके विस्तारित क्षेत्र की **जनसंख्या (90%) एवं क्षेत्रफल (10%)** के आधार पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

योजना के घटक

नगरीय क्षेत्र के निवासियों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना और शहरों में सुविधाओं का विकास/निर्माण करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। परियोजनाओं का चयन आवश्यकता अनुसार व अन्य किसी योजना से आच्छादित न होने की दशा में ही किया जाएगा। अन्य मिशन/योजनाओं से Convergence/ Dovetailing के माध्यम से धनराशि सम्मिलित करते हुए परियोजनाओं का कार्यान्वयन इस योजना में कराया जा सकता है।

(5.1) जल निकासी

(i) जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण

(ii) वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना और निर्माण।

(5.2)सड़कों का निर्माणः–

प्राथमिकता और महत्ता के दृष्टिगत सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्य कराये जा सकेंगे। सड़कों के किनारे जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण अवश्य सुनिश्चित कराया जाएगा। अति आवश्यक कच्चे मार्गों

के नवनिर्माण एवं क्षतिग्रस्त पूर्व निर्मित मार्गों के रिपेयर को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में लोक निर्माण विभाग की परिसम्पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने, यातायात के लिए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने एवं रोड सेफ्टी के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रमुख क्षेत्रों के साथ सड़क चौराहों का प्राथमिकता और महत्ता के अनुसार विकास एवं सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। चौराहों का सौंदर्यीकरण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मॉडल/कारपोरेट सोशल रस्पान्सिबिलिटी (सी0एस0आर0) के माध्यम से नियमानुसार कराया जा सकता है।

(5.3) स्ट्रीट लाइट

(i) एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना,

(ii)उक्त कार्य में ब्लैक–स्पॉट, महत्वपूर्ण क्षेत्रों, घनी आबादी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iii)विद्युत क्षेत्र के उच्चीकरण हेतु आवश्यकतानुसार ट्रान्सफार्मर एवं अन्य अनुषांगिक उपकरणों आदि की स्थापना।

(iv) नगर पंचायत / नगर पालिका में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य

(v) नगर निगमों में जोनल कार्यालय का निर्माण कार्य

निकाय द्वारा परियोजनान्तर्गत कार्यों का चयन करते समय इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाए कि कार्य के आवर्तक व्यय (Recurring Expense) यथा विद्युत बिल इत्यादि का वहन निकाय करनें में सक्षम हो।

(5.4)<u>सामुदायिक केंद्र (कल्याण मण्डप)</u>

(i)प्रत्येक नगर निकाय में आवश्कतानुसार एक सामुदायिक केन्द्र बनाया जाएगा, जो एक बहुउद्देशीय हॉल, रहने योग्य कमरे, रसोई और खुली जगह से मिलकर निर्मित होगा।

(ii)शहरी निकायों द्वारा अपनी आय के स्रोत

को बढ़ाने के लिए सामुदायिक केंद्रों हेतु राजस्व मॉडल का उपयोग किया जाएगा, जिससे उक्त केन्द्र के अनुरक्षण, निकाय के राजस्व में वृद्धि एवं अन्य विकास सुनिश्चित हो सके।

(iii) उक्त हेतु निर्विवादित भूमि उपलब्ध कराये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित जिलाधिकारी /नगर आयुक्त का होगा।

(5.5) शहरी क्षेत्र की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए हरित स्थान, पार्क, बच्चों के खेलने के क्रीडास्थल आदि का निर्माण/सार्वजनिक पार्कों/खुले क्षेत्रों में जिम आदि का निर्माण किया जायेगा। पार्क/ओपेन स्पेस का अनुरक्षण कार्य सम्बन्धित निकाय द्वारा शुल्क अधिरोपित करते हुए अथवा एडाप्शन मॉडल/पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मॉडल/ कारपोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी (सी0एस0आर0) के माध्यम से कराया जा सकता है।

(5.6) <u>मुख्य व्यापारिक क्षेत्र का विकास और सौंदर्यीकरण</u>

(i) निकाय के अन्तर्गत बाजार स्थलों पर बैठने के स्थानों, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल, पार्किंग आदि जैसी सुविधाओं का विकास।

(ii) उक्त जनसुविधाओं का संचालन और रखरखाव उपयोग शुल्क

(user charges) वसूल कर किया जा सकता है।

(iii)बाजार स्थल को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण/पुनर्निर्माण आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।

(5.7) <u>सामाजिक आधारभूत संरचनाओं यथा– स्कूल एवं आंगनबाडी केन्द्रों का उन्नयन</u>

(i)प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन आवश्यकताओं के आधार पर किया जायेगा।

(ii)आंगनबाड़ी केन्द्र जो नवसृजित /उच्चीकृत/विस्तारित नगरीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत किराये पर चल रहे है, के निर्माण/उच्चीकरण हेतु योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि, निकायों को प्राप्त होने वाली केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की धनराशि एवं निकाय के स्वयं के स्रोतो से कन्वर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराये जा सकेंगे।

(iii) स्कूल एवं आंगनबाडी केन्द्र, जिनमें एक साथ उपरोक्त दोनो कार्य स्थल की उपलब्धता के आधार पर कराये जा सकते है, ऐसे विद्यालयों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

(iv)परिषदीय विद्यालय का उन्नयन ''आपरेशन कायाकल्प'' की गाइडलाइन के क्रम में नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या– 1002/नौ–9–2020 दिनांक 01.07.2020 को संज्ञान में लेते हुए एवं इन्डिकेटर्स के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त मुख्य इन्डिकेटर्स निम्नवत् हैः–

(i) बालकों एवं बालिकाओं हेतु पृथ्क शौचालयों का निर्माण।

(ii)पेयजल व्यवस्था (हैण्डपम्प/ मल्टीपल हैण्ड वाशिंग सिस्टम)।

(iii) विद्यालयों की फर्श, दीवार एवं छत की मरम्मत का कार्य।

(iv) फर्नीचर एवं गेट की व्यवस्था।

(v)स्कूल के चारों तरफ चहारदीवारी का निर्माण आदि।

(5.8) नागर निकायों की आवश्यकतानुसार अन्य कोई सामाजिक–नागरिक केन्द्रित सुविधाओं का विकास, नगर निगमों के जोनल ऑफिस तथा नगर पंचायतों में कार्यालय भवन।

निकायों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त प्रस्तर–5 में उल्लिखित समस्त कार्यों को अपनी कार्ययोजना में सम्मिलित करें, अपितु आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर CM-NSY और Convergence के माध्यम से उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं का चयन किया जा सकता है।

रणनीति और दृष्टिकोण

(6.1) सर्वप्रथम, शहरी निकायों की नव निर्मित अथवा विस्तारित सीमाओं की मौजूदा बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ मैपिंग की जायेगी। मैपिंग/सर्वे के लिये इसरो द्वारा विकसित ''भुवन'' सॉफ्टवेयर अथवा नियमानुसार अन्य किसी सॉफ्टवेयर की स्वीकृति के उपरान्त उपयोग किया जा सकता है। इस हेतु पोर्टल की व्यवस्था नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इसके पश्चात् आवश्यक बुनियादी ढांचे और सामाजिक–नागरिक सेवाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

(6.2) योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों में मैपिंग/सर्वे कार्य से सम्बंधित कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था चिन्हित ए0 एण्ड ओ0ई0 मद से सुनिश्चित की जायेगी।

(6.3) तदोपरान्त न्यूनतम वित्तीय आवश्यकता एवं अधिकतम जनोपयोगी अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई जाएगी। इसके लिए सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त द्वारा नामित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मण्डल स्तरीय सहयुक्त नियोजक की सेवाएं ली जाएगी। इस कार्य हेतु उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद में तैनात वरिष्ठम अर्किटेक्ट/टाउन प्लानर तथा स्ट्रक्चर इंजीनियर की सेवाए भी ली जा सकती हैं।

(6.4) क्षेत्र जो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित है– सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत मास्टर प्लान की संरचना विभाग के मण्डलीय सहयुक्त नियोजक/आर्किटेक्ट के माध्यम से की जाएगी।

(6.5) क्षेत्र जो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित नही है– क्षेत्र का नियोजित विकास सुनिश्चित कराने के लिए शहरी नियोजन विभाग की संकल्पना के अनुरूप योजना बनायी जाएगी जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र का नियोजित विकास हो सके।

(6.6) बिंदु 6.1, 6.2 व 6.3 के अनुसार नवसृजित/विस्तारित क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालीन मास्टर प्लान/प्लान की संरचना मण्डल स्तरीय सहयुक्त नियोजक के माध्यम सुनिश्चित करायी जाएगी। उक्त मास्टर प्लान को क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा महायोजना/क्षेत्रीय/जिला योजनाओं (यदि विद्यमान हो) के साथ सिन्क्रोनाइज (Synchronize) किया जाएगा ताकि सम्पूर्ण क्षेत्र का हालिस्टिक डेवलेपमेन्ट (Holistic Development) हो सके।

(6.7) योजनान्तर्गत नवसृजित /विस्तारित सम्पूर्ण क्षेत्र की मैंपिंग/प्लानिंग एवं आधारभूत संरचनाओं के सर्वे आदि का कार्य कन्सल्टेन्ट/आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाने पर होने वाला व्यय के वित्त

पोषण हेतु योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का अधिकतम 02 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाएगा, जो परियोजना मूल्य में सम्मिलित रहेगा। उक्त कन्सल्टेन्ट/प्लानर द्वारा परियोजना का निरन्तर अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(6.8) प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि स्वामित्व निकाय का हो एवं उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण तथा विवाद की स्थिति न हो। परियोजनाओं के चयन एवं डीपीआर का गठन संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा तथा गाइडलाइन के अनुरूप परिक्षण कराते हुए कार्यो का Project Appraisal, Finalisation व कन्वर्जेन्स की कार्यवाही जिला अधिकारी/नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा की जाएगी। मौजूदा बुनियादी ढांचे और सामाजिक–नागरिक सुविधाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट डी0पी0आर0 के साथ प्रस्तुत की जायेगी, जिससे कराये जाने वाले कार्यों की द्विरावृत्ति एवं संसाधनों के अपव्यय को रोका जा सके।

(6.9) नवगठित शहरी निकायों/सीमा विस्तारित/उच्चीकृत निकायों को प्राप्त होने वाली केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग, स्थानीय निकाय निधि, केंद्रीय योजनाओं, मा0 सांसद एवं मा0 विधायक निधि आदि से प्राप्त धन का उपयोग

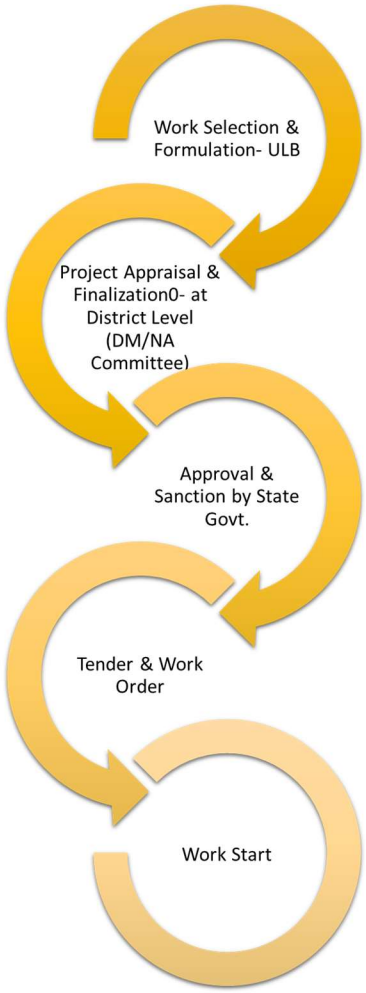

CM-NSY में मौजूदा फंड आवंटन के साथ कन्वर्जेन्स (Convergence) और डवटेलिंग (Dovetailing) के माध्यम से यदि नियमानुसार संभव है तो किया जाएगा।

(6.10) ऐसे कार्य/परियोजनाएं जिनका किसी अन्य मिशन/राज्य सेक्टर की योजनान्तर्गत प्राविधान हो, उनका चयन इस योजना में नहीं किया जायेगा, किन्तु कन्वर्जेन्स/ डवटेलिंग की कार्यवाही की जा सकती है।

(6.11) परियोजनाओं के चयन आदि के सम्बंध में क्षेत्रीय मा0 जनप्रतिनिधियों के सुझाव अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(6.12) योजनान्तर्गत भवनों के निर्माण में परम्परागत तकनीकों के अतिरिक्त पर्यावरण अनुकूल नवाचार तकनीक (Innovative Construction Technique) का उपयोग नियमानुसार लोक निर्माण विभाग के SOR/नियम संगत गाइडलाइन/मानको के अनुसार किया जा सकता है।

कार्यान्वयन पद्धतिः—

(7.1) योजना के तहत परियोजनाओं की योजना, विकास और क्रियान्वयन निकाय/प्रतिष्ठित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा।

(7.2) मौजूदा बुनियादी सुविधाओं का आंकलनः—

CM-NSY अन्तर्गत प्लान तैयार करते समय वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों की मैपिंग की जायेगी। मैपिंग के उपरान्त ऐसी संरचनाएं जिनका अभाग नवसृजित/सीमा विस्तारित क्षेत्र में है, उनका प्रस्ताव बनाये जाने पर विचार किया जायेगा। परियोजनाओं की संकल्पना निकाय क्षेत्र में निवासित व्यक्तियों के सम्मुख आ रही मुख्य समस्याओं के निराकरण से संबंधित होनी चाहिए।

(7.3) सर्वे हेतु प्रकियाः— सर्वे हेतु इसरो द्वारा विकसित ''भुवन'' सॉफ्टवेयर अथवा अन्य किसी स्वीकृत सॉफ्टवेयर के उपयोग से क्षेत्र की उपलब्ध मूलभूत संरचना का मानचित्र तैयार किया जाना चाहिए। विस्तृत योजना एवं आधारभूत डिजाइन तैयार करते समय वर्तमान में उपलब्ध संरचना के साथ सामंजस्य स्थापित किया जायेगा, इसके लिये निकाय क्षेत्र का विस्तृत सर्वे (ड्राईग/मानचित्र आटोकेड अथवा किसी प्रकार अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से) किया जायेगा।

(i) मानचित्र/डाइंग 1:200 से 1:500 के मानक के आधार पर तैयार किये जायेगे जिसमें निकाय क्षेत्र की सीमा, सडकें, गलिया, सीवर/ड्रेन मेन होल की स्थिति, रोड साइड ड्रेन, प्रत्येक भवन की सीमाएं, सामुदायिक सम्पत्तियों (यदि कोई हो), खुले मैदान और इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स वृक्ष आदि जी0आई0एस0(GIS) मैप्स प्रदर्शित किये जाये।

(ii) स्थल की स्थिति एवं संरचना को दृष्टिगत रखते हुये कन्टूर मैप तैयार किये जायेगे। इसके आधार पर जी0आई0एस0 तकनीक से स्लोप मैप तैयार किये जायेगे। जी0आई0एस0 डोमेन में इस प्रकार सृजित स्लोप मैप पर सम्बन्धित क्षेत्र के ड्रेनेज (उपलब्ध संरचना) को प्रदर्शित किया जायेगा।

(iii)आधारभूत संरचना के मानचित्र में भूमि के नीचे स्थित अवस्थापना व आधारभूत सुविधाओं यथा उपलब्ध पेयजल आपूर्ति नेटवर्क, सीवर लाइन नेटवर्क, टेलीफोन लाइन, केबिल आदि की मैपिंग की जायेगी। उक्त मैपिंग के लिये आधुनिक तकनीको जी0पी0आर0 noise correlator आदि का उपलब्धता के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है। पी0एम0 गतिशक्ति पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है।

(iv)मानचित्र में युक्तिसंगत दूरी यथा 100 मी0 की परिधि में उपलब्ध सड़क/परिसम्पत्तियों तथा प्रशासनिक सीमाओं यथा वार्ड की सीमाएं/जोन की सीमाएं प्रदर्शित की जानी चाहिये। मुख्य नाला/नाली को उसके डिचार्ज प्वाइंट तक सर्वे किया जाना आवश्यक है जिससे उसकी Connectivity सुनिश्चित की जा सके।

(v)सर्वे के दौरान निकाय अथवा संबधित अभिकरण के प्रतिनिधि की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। सर्वे मे यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक सुविधा का सर्वे हो गया है। इस प्रकार तैयार की गयी ड्राइंग जी0आई0एस0 डाटाबेस पर स्थानान्तरित कर उसे निकाय स्तर पर सुरक्षित रखा जायेगा एवं मांगे जाने पर निदेशक, नगरीय निकाय को उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त समस्त कार्य में मितव्ययता एवं उपलब्ध संसाधनो का ध्यान रखा जायेगा तथा इस हेतु संबंधित सक्षम स्तर (जिलाधिकारी/नगर आयुक्त) की समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(vi) निकाय क्षेत्र में पूर्व से प्रचलित ग्राम्य विकास विभाग/अन्य विभागों की प्रभावी योजनाओं अथवा पूर्व में ग्राम पंचायत के रूप में हुए/हो रहे समस्त कार्यों को जनोपयोगी बनाने हेतु तत्काल पूर्व प्राप्त/अवशेष धनराशि से पूर्ण कराया जायेगा, धनराशि अपर्याप्त होने की दशा में CM-NSY मद से कार्य पूर्ण कराये जा सकेंगे।

(7.4)कार्यो की प्राथमिकता के निर्धारण हेतु सिद्धान्तः–

समिति/निकाय द्वारा कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण गैप एनालिसिस एवं वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। प्रथम वर्ष में उन परियोजनाओं का चयन किया जायेगा, जिनमें अधिक गैप है अथवा जो तत्काल पूर्ण किये जा सकते है। अपेक्षाकृत कम विकसित निकायों के लिए योजनान्तर्गत एक कार्य योजना पृथक से शासन के सक्षम स्तर से स्वीकृत की जाएगी। डी0पी0आर0 गठित करने का मुख्य आधार क्षेत्रीय आवश्यकता और नगरीय निकायों के सुझाव होगें।

(7.5) परियोजनाओं का चयनः–

(i)सीएम–एनएसवाई योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाली परियोजनाओं/ कार्यों के चयन में नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी।

(ii)डीपीआर तैयार करने और परियोजनाओं/कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए मा0 जनप्रतिनिधियों के सुझाव प्राप्त किये जायेंगे।

(iii) निकाय द्वारा परियोजनाओं का चयन करते समय, भविष्य में अनुमानित जनसंख्या और उनकी आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

(iv)बुनियादी ढांचे और सामाजिक –नागरिक सुविधाओं को जी0आई0एस0 आधारित मानचित्रों पर दर्शाते हुए डीपीआर में सम्मिलित कर परियोजनाओं के चयन की कार्यवाही की जायेगी। जिला अधिकारी/नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित निम्न समितियों द्वारा CM-NSY गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। यह भी सुनिश्चित कराया जायेगा कि निकाय में उपलब्ध अन्य समस्त योजनाओं की धनराशि से नियमानुसार कन्वेंजेन्स की व्यवस्था हो। जिसके उपरान्त Project Appraisal व Finalisation की कार्यवाही की जाएगी–

(अ)– नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिये समितिः–

(i)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(ii)	प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय	सदस्य/सचिव
(iii)	अधिशासी अधिकारी	सदस्य
(iv)	जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।	सदस्य
(v)	जनपद में नोडल अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत (विद्युत पथ प्रकाश से संबंधित कार्य/परियोजना होने की दशा में)।	सदस्य
(vi)	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/प्रोजेक्ट मैनेजर, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम (आवश्यकतानुसार)	सदस्य
(vii)	जिला उद्यान अधिकारी (आवश्यकतानुसार)	सदस्य
(vii)	मण्डलायुक्त द्वारा नामित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मण्डल स्तरीय सहयुक्त नियोजक।	सदस्य
(ix)	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी (आवश्यकतानुसार)	सदस्य

(ब)– नगर निगमों के लिये समितिः–

i)	नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम।	अध्यक्ष
ii)	अपर नगर आयुक्त	सदस्य /सचिव
iii)	अभियन्ता, नगर निगम	सदस्य
iv)	मुख्य अभियन्ता, विद्युत नगर निगम।	सदस्य
v)	मण्डलायुक्त द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।	सदस्य
vi)	महाप्रबंधक, जलकल, नगर निगम।	सदस्य
vii)	उद्यान अधीक्षक, नगर निगम।	सदस्य
vii)	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय/विकास प्राधिकरण में तैनात वरिष्ठतम आर्किटेक्ट/टाउन प्लानर।	सदस्य
ix)	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी (आवश्यकतानुसार)	सदस्य

(7.6) डी0पी0आर0 गठित करने से पूर्व प्रत्येक परियोजना के लिये Pre Feasibility Report (PFR) बनायी जायेगी तथा अनुमोदन

के लिये संबंधित समिति को प्रस्तुत की जायेगी। PFR में वित्तीय आवश्यकता नियोजन तथा वित्तीय संसाधनों का उल्लेख किया जाना चाहिये पी0एफ0आर0 में समस्त परियोजनाओ का संबंधित स्कीम से कन्वर्जेन्स सुनिश्चित कराना आवश्यक है। पीएफआर में अनुमानित आगणन धनराशि, O&M चार्जेज आदि के उल्लेख के अतिरिक्त उपलब्ध संसाधनो/सुविधाओं के बेहतर उपयोग की व्यवस्था का भी उल्लेख किया जायेगा।

(7.7) परियोजना लागत का आंकलनः

(i) कार्य स्थल का निरीक्षण करते हुए उसकी लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई व गहराई की गणना करते हुए प्रत्येक मदवार विस्तृत आगणन तैयार किया जायेगा। आगणन में वर्तमान में प्रभावी शासकीय दरों/वर्तमान प्रचलित एस0ओ0आर0 व विभागीय दरों का उपयोग किया जायेगा।

(ii) सम्बंधित निकाय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) का सक्षम स्तर से अनुमोदन व आगणन को प्रमाणित कराया जायेगा।

(iii) डी0पी0आर0 के अन्तर्गत आगणन में कन्स्ल्टेंसी, प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग, थर्ड पार्टी निरीक्षण व मॉनीटरिंग तथा सोशल आडिट हेतु व्ययों का प्राविधान सम्मिलित किया जाना होगा।

(iv) मूल्य वृद्धि, सेन्टेज चार्जेस, एस0ओ0आर0 में वृद्धि, कन्टीजेंसी आदि को भी परियोजना लागत में सम्मिलित किया जा सकता है।

(v)कार्य का आगणन तैयार किये जाने में एमएस एक्सेल व इस प्रकार के किसी अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाय, ताकि संशोधन की स्थिति में सुगमता व शीघ्रता से कार्यवाही की जा सके। परियोजना में सम्मिलित विभिन्न मदों व उनके सापेक्ष व्यय हेतु एक संकलित सीट भी संलग्न की जाये।

(vi) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त कार्यो की भौतिक व वित्तीय मदों के विवरण को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत एक्ज्यूक्टिव समरी को भी सम्मिलित किया जायेगा।

(7.8) <u>परियोजना कार्यान्वयन व गर्वनेंसः</u>– डी0पी0आर0 (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) में सम्मिलित विभिन्न घटकों के सापेक्ष प्रशासनिक संरचना, कार्यान्वयन एजेंसियों से संबंधित परियोजना के कार्यान्वयन का विवरण स्पष्ट होना चाहिए। एक डी0पी0आर0 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो में यदि एक से अधिक निर्माण एजेन्सिया सम्मिलित होगी, तो उनके मध्य समन्वय किस प्रकार रखा जायेगा, का विवरण भी डी0पी0आर0 के अन्तर्गत अंकित किये जाने चाहिए।

कार्यों के समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु डी0पी0आर0 के अन्तर्गत विस्तृत कार्ययोजना को सम्मिलित किया जायेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से मासिक लक्ष्यों के अनुसार बार चार्ट, पाई चार्ट, आदि के विवरण अंकित किया जाना चाहिए।

(7.9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन

सम्बंधित निकाय द्वारा डी.पी.आर. तैयार कर लिये जाने के उपरान्त जिलाधिकारी/नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा डी0पी0आर0 के परीक्षण के उपरान्त इसे स्वीकृति हेतु निदेशालय को भेजा जाएगा। निदेशालय द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को अग्रसारित करने से पहले पुनः यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त प्रस्ताव जो राज्य सरकार को प्रेषित किये जा रहे है वह सीएमएनवाई गाइडलाइन्स के अनुरूप हैं। शासन स्तर से डी0पी0आर0 के अनुमोदन के उपरान्त परियोजनाओं की निविदा व कार्यो का कार्यान्वयन सम्बंधित निकाय, नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा। निदेशालय द्वारा नियमित रूप से परियोजना की प्रगति समीक्षा, अवमुक्त धनराशि के व्यय की स्थिति, परियोजना से सम्बंधित अभिलेखों के रख–रखाव, प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन और सीएमएनएसवाई के तहत परियोजनाओं का फाइनेंशियल क्लोजर का कार्य किया जायेगा। इन समस्त गतिविधियों हेतु आवश्यक धनराशि का प्राविधान ए0एण्डओ0ई0 मद के बजट से किया जा सकता है। (संदर्भ– बिंदु 11.2)

(7.10)संचालन एवं अनुरक्षण की आवश्यकताः– विगत कार्यक्रमों/परियोजनाओं की अनुभवों के आधार पर मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजना के अनुरक्षण एवं संचालन (O&M) की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गयी हैं। अतः सीएम–एनएसवाई के अन्तर्गत न्यूनतम पांच वर्ष के लिए ओएण्डएम की व्यवस्था यूजर चार्जेज अथवा अन्य रेवेन्यू मॉडल्स (सामुदायिक केन्द्र एवं शौचालय हेतु) के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी। परियोजना लागत की गणना में अनुरक्षण व संचालन को सम्मिलित नही किया जायेगा। सम्बंधित निकाय द्वारा सृजित सम्पत्तियों के अनुरक्षण व संचालन हेतु वसूली की प्रक्रिया आदि निर्धारित करते हुए वित्तपोषित किया जायेगा।

(7.11)निविदा प्रक्रिया व कार्यान्वयन

शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सम्बंधित निकाय द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निर्माण एजेन्सियों का चयन, अनुबंध आदि करते हुए कार्यान्वयन कराया जायेगा। कार्यान्वयन के दौरान कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण थर्ड पार्टी के माध्यम से कराया जायेगा। साथ ही, निकाय, जिलाधिकारी/नगर आयुक्त एवं निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा नियमित रूप से त्रिस्तरीय निगरानी की जाएगी।

(7.12) परियोजना को पूर्ण करना और संसाधन डेटाबेस को अद्यतन करना

परियोजना का कार्यान्वयन पूर्ण होने के उपरान्त थर्ड पार्टी गुणवत्ता टीम द्वारा डीपीआर में प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष वास्तविक कार्यान्वयन की स्थिति का परीक्षण करते हुए परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। प्रस्तावित परिणामों की उपलब्धि और प्रमाणन के बाद, इसे आगे की किसी भी योजना के लिए संसाधन से सम्बन्धित डेटाबेस में अद्यतन किया जाएगा, इसे सम्बंधित निकाय की समग्र योजना से एकीकृत किया जाना चाहिए।

(7.13) <u>योजना और कियान्वयनः</u>– डीपीआर के गठन और क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता हैः–

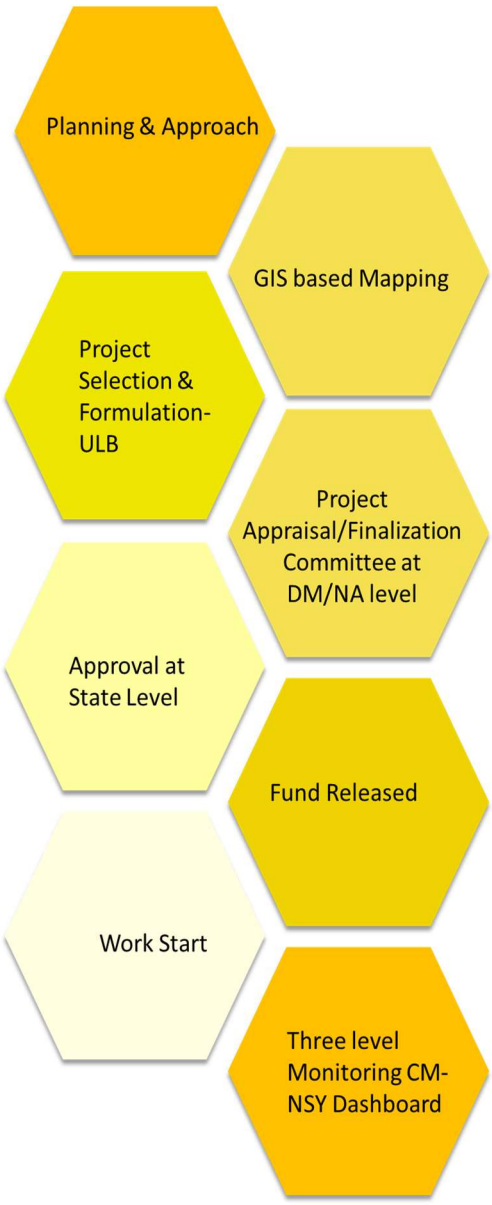

Fig- 7.a. - योजना के कियान्वयन हेतु प्रक्रिया

वित्त पोषण

(8.1) वित्तीय वर्ष 2022–23 में सीएम–एनएसवाई योजना अन्तर्गत निम्नवत् बजट प्राविधान किया गया हैः–

(धनराशि करोड रूपये में)

कम सं0	नगरीय निकाय	बजट व्यवस्था
1	नवसृजित नगर पंचायत।	366.30
2	सीमा विस्तारित नगर पंचायत	53.35
3	सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर पालिका परिषद।	58.85
4	सीमा विस्तारित नगर निगम।	71.50
	कुल योग	**550.00**

(8.2) नागर निकायों को बजटीय आवंटन केंद्र/राज्य वित्त आयोग की धनराशि, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ कन्वर्जेन्स /डवटेलिंग के माध्यम से किया जाएगा।

फंडिंग पैटर्न

(9.1) परियोजना की शासन के सक्षम स्तर पर स्वीकृति के उपरान्त वित्त विभाग के संगत नियमों/शासनादेश के अनुसार धनराशि आवंटित की जाएगी।

(9.2) परियोजनाओं की स्वीकृति के उपरान्त निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को शासन द्वारा धनराशि निर्गत की जाएगी। तदोपरान्त निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि

सम्बंधित निकायों को परियोजना कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

(9.3) निकाय/जिला स्तर पर गठित तकनीकी टीम की जांच रिपोर्ट के हस्ताक्षर से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर ही योजनान्तर्गत शासन द्वारा नियमानुसार द्वितीय/अवशेष किश्त अवमुक्त की जाएगी।

(9.4) सृजित परिसम्पत्तियों का रख–रखाव एवं आडिटः योजनान्तर्गत नागर निकाय क्षेत्र में जो परिसम्पत्तियां सृजित होगी, उनके रख–रखाव पर होने वाला व्यय संबंधित निकाय द्वारा वहन किया जाएगा जिसकी वचनबद्धता कार्ययोजना/डी0पी0आर0 में संलग्न कर उपलब्ध करायी जाएगी।

(9.5)योजना के अन्तर्गत लेखों का रख–रखाव पृथक से रखा जायेगा। नगर निकायों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का नियमित रूप से आडिट कराया जाएगा।

सीएम–एनएसवाई योजना का अनुश्रवण–

(10.1) उक्त योजना का त्रिस्तरीय अनुश्रवण किया जायेगा।

(i) निकाय स्तर।
(ii) जिला स्तर।
(iii) निदेशालय स्तर।

(10.2)योजनान्तर्गत चयनित परियोजनाओं का अनुश्रवण नगर आयुक्त/जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय/अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समितियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त समिति में वरिष्ठ अभियन्ता एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी होंगे। समिति द्वारा प्रत्येक माह निम्नलिखित Monitoring Evaluation बिंदुओं पर प्रगति आख्या (जिसमें स्थल के फोटोग्राफ भी होंगे) तैयार की जायेगी–

1. Physical/Financial Progress
2. Qualitative Analysis
3. Desired Outcomes
4. Community Enagagement
5.Documentation/Monthly-Annual Reports

आगामी किश्त प्राप्त करने के लिए उक्त प्रगति आख्या एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

(10.3) परियोजना का अनुश्रवण निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा

(10.4) निदेशालय द्वारा समेकित वार्षिक रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जायेगी।

(10.5) योजनान्तर्गत प्रगति के अनुश्रवण हेतु CM-NSY डैशबोर्डः नगरीय निकाय निदेशालय स्तर पर विकसित डैशबोर्ड के माध्यम से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा। योजना पर शासन की स्वीकृति के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण किये जायेगे। उक्त डैशबोर्ड पर परियोजना

की डी0पी0आर0, प्रगति विवरण एवं साइट के फोटोग्राफ अपलोड किये जायेंगे जिससे शासन स्तर पर परियोजनाओं की प्रगति का real-time अनुश्रवण किया जा सकें।

क्षमता निर्माण की गतिविधियां

(11)योजनान्तर्गत निकाय को आवंटित धनराशि का आवश्यकतानुसार अधिकतम 3 प्रतिशत अंश निकाय स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा–

- क्षमता निर्माण तथा Information Education & Communication (IEC) पर 1%
- प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A&OE) पर 2% व्यय किया जा सकता है।

उक्त मदों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों पर किया जा सकता है:–

(11.1) क्षमता निर्माण तथा Information Education & Communication हेतु–

(i) आवश्यक होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, लीफलेट्स, फोटोग्राफ /आडियों–विजुवल माध्यमों, वाल पेटिंगं नुक्कड़–नाटक तथा स्थानीय कलाकारों के माध्यम से करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

(ii) नगर चौपाल के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां।

(iii)सामाजिक–आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन/शोध /अभिलेखीकरण

(11.2) प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A&OE) **हेतु–**

(i) डी0पी0आर0 के गठन आदि के लिये ट्रेनिंग/वर्कशाप/अध्ययन/परिचयात्मक यात्रा।

(ii) सर्वे/डी0पी0आर0 के गठन हेतु कार्य कर रहे कन्सल्टेन्ट/प्लानर को भुगतान।

(iii) आवश्यकतानुसार स्टेशनरी पर व्यय किया जा सकता है।

(iv) मानव संसाधन विकास।

(12) नगरीय निकाय निदेशालय स्तर पर कुल बजट प्राविधान का 0.5% अंश क्षमता निर्माण तथा Information Education & Communication (IEC), प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A&OE) हेतु आरक्षित की जाएगी। नगरीय निकाय निदेशालय स्तर पर रोकी गई धनराशि हेतु पृथक से बैंक खाता खोला जाएगा। खाते के आय–व्यय का विवरण सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा रखा जाएगा। सहायक निदेशक (लेखा) द्वारा उक्त खाते के संचालन में संगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
उक्त मदों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों पर किया जा सकता है:–

(i)निदेशालय स्तर पर वर्कशाप/ट्रेनिंग/अध्ययन/केस स्टडीज एवं परिचयात्मक यात्रा हेतु।

(ii)नगरीय निकाय निदेशालय स्तर पर अनुश्रवण हेतु **CM-NSY** डैशबोर्ड विकसित करने व अन्य डिजिटल और आईटी इनिशिएटिव हेतु।

(iii)सामाजिक–आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन/शोध /अभिलेखीकरण

(iv)मानव संसाधन विकास।

(v)राज्य स्तर पर प्रचार–प्रसार।

(vi)वार्षिक रिपोर्ट

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

सामान्य जानकारी

1. मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (सीएम–एनएसवाई) क्या है?

प्रदेश में नवसृजित/सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नागर निकाय क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत नगरीय सुविधाएं यथा–पेयजल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, रोड, मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना'' का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

2. मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (सीएम–एनएसवाई) के अन्तर्गत किन निकायों को और किस प्रकार धनराशि आवंटित की जायेगी?

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक नवसृजित/उच्चीकृत/सीमा विस्तारित निकायों (कुल 242 निकायों) तथा भविष्य में सृजित/उच्चीकृत/सीमा विस्तारित होने वाली प्रत्येक श्रेणी की निकायों के मध्य नवसृजित/विस्तारित क्षेत्र की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर निम्न फार्मूले के अनुसार धनराशि आवंटित की जायेगीः–

संकेतक	प्रदत्त भार (प्रतिशत में)
जनसंख्या, 2011	90
क्षेत्रफल	10

3. मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (सीएम–एनएसवाई) की क्या आवश्यकता है?

हमारे नगर अपनी अर्थ व्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करते हैं। प्रदेश में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2022–23 के मध्य में नवसृजित/सीमाविस्तारित/उच्चीकृत कुल 242 निकाय है। उक्त समयावधि के उपरान्त निकायों का नवसृजन/सीमाविस्तार/उच्चीकरण होने कि सम्भावना है। उपरोक्त के दृष्टिगत इन निकायों में मूलभूत आवश्यक सुविधाओं के विकास/सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

4. यह योजना किन निकायों पर लागू होगी?

यह योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2022–23 के मध्य नवसृजित/सीमाविस्तारित/उच्चीकृत शहरी स्थानीय निकायों पर लागू होगी (कुल निकाय–242)।

5. क्या भविष्य में नवसृजन/सीमाविस्तार/उच्चीकरण होने वाली निकाय इस योजना से आच्छादित है?

हां, भविष्य में नवसृजित/सीमाविस्तार/उच्चीकरण होने वाली नगरीय निकाय भी इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

6. योजना का लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है?

सीएम एनएसवाई के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

(i)सशक्त निकाय (Empower):– राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए बुनियादी नागरिक और सामाजिक सुविधाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए नवसृजित या विस्तारित नागर निकायों को सशक्त बनाना।

(ii)सुनिश्चित बजट एवं नियोजन (Ensure):– शहरी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की चल रही योजनाओं/मिशनों के साथ डवटेलिंग (Dovetailing) और कन्वर्जेन्स (Convergence) बजट व्यवस्था सुनिश्चित करना। नियोजन की संकल्पना के माध्यम से विकास योजनाएं तैयार कराना।

(iii)सुदृढ़ विकास (Enhance):–सुदृढ विकास के माध्यम से राज्य के शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।

7. योजनान्तर्गत परियोजनाओं का चयन किस प्रकार किया जा सकता है?

- समिति/निकाय द्वारा कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण गैप एनालिसिस एवं वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। प्रथम वर्ष में उन परियाजनाओं का चयन किया जायेगा, जिनमें अधिक गैप है। परियाजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण में मा0 जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों से सुझाव अवश्य प्राप्त किये जायेगे।
- नवगठित शहरी निकायों/सीमा विस्तारित/उच्चीकृत निकायों को प्राप्त होने वाली केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग, स्थानीय निकाय निधि, केंद्रीय योजनाओं, मा0 सांसद एवं मा0 विधायक निधि आदि से प्राप्त धन का उपयोग CM-NSY में मौजूदा फंड आवंटन के साथ कन्वर्जेन्स (Convergence) और डवटेलिंग (Dovetailing) के माध्यम से यदि नियमानुसार संभव है तो किया जाएगा।

8. योजना का प्रमुख क्षेत्र/किन परियोजनाओं को सम्मिलित किया है?

योजनान्तर्गत लिये जाने वाले मुख्य कार्य/परियोजनाएं

- मार्ग निर्माण एवं जल निकासी हेतु नाला/नाली निर्माण
- स्ट्रीट लाइट

- सामुदायिक केन्द्र (कल्याण मण्डप)
- मुख्य व्यापारिक क्षेत्र (Market Place) का विकास एवं सौन्दर्यीकरण
- प्रमुख चौराहों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण
- पार्क/ओपेन स्पेस का विकास
- स्कूल एवं आंगनबाडी केन्द्र निर्माण/उच्चीकरण
- नगर निगम के जोनल ऑफिस/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के कार्यालय का निर्माण

9. परियोजनाओं के चयन आदि में समन्वय के लिए कौन उत्तरदायी होगा?

जिला स्तर पर परियोजनाओं के चयन आदि में समन्वय के लिए नगर पालिका/नगर पंचायतों में प्रभारी अधिकार, स्थानीय निकाय, नगर निगम में अपर नगर आयुक्त तथा शासन स्तर से समन्वय के लिए निदेशक, नगरीय निकाय उत्तरदायी होगें।

10. परियोजनाओं के चयन के पश्चात की कार्यवाही?

निकाय द्वारा चयन एवं कार्ययोजना बनाये जाने के पश्चात नवसृजित/उच्चीकृत/विस्तारित नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एवं नगर निगमों हेतु नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समितियों के समक्ष सम्यक परीक्षण, गाइडलाइन्स का अनुपालन एवं कन्वर्जेन्स आदि सुनिश्चित करने परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

उक्त समितियों द्वारा परियोजनाओं के विषय में एक सप्ताह में निर्णय लेते हुये निदेशक, नगरीय निकाय को प्रेषित कर दिया जायेगा। किसी परियोजना विशेष पर स्थिति स्पष्ट कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत एक सप्ताह की समय–सीमा और अनुमन्य रहेगी। निर्धारित समय सीमा में समितियों द्वारा निर्णय न लिये जाने अथवा कोई आपत्ति न किये जाने पर परियोजाएं स्वतः अनुमोदित मानी जायेगी एवं निदेशक, नगरीय निकाय को निकाय द्वारा प्रेषित कर दी जायेगी।

11. जिलाधिकारी/नगर आयुक्त स्तर पर गठित समिति के कार्यक्षेत्र क्या है?

जिलाधिकारी/ नगर आयुक्त स्तर पर गठित समिति के कार्यक्षेत्र निम्नवत–

1. चयनित परियोजनाओं में योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
2. अन्य योजनाओं/मिशन से कन्वर्जेन्स/डवटेलिंग सुनिश्चित करना।
3. वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा करना तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

4. डैशबोर्ड पर परियोजनाओं का अंकन एवं निर्धारित समय सीमा के अनुसार अपडेशन सुनिश्चित कराना।
5. इनवेन्टरी/एसेट मैनेजमेन्ट व अभिलेखीकरण।
6. क्षमता निर्माण (आई0ई0सी0) गतिविधियों का संचालन।
7. जनसमुदाय की सहभागिता
8. परियोजना का प्रभाव (Outcome)

12. अन्य योजनान्तर्गत किये गए कार्य इस योजना में सम्मिलित किया जा सकता है?

1. परियोजनाओं का चयन आवश्यकतानुसार व अन्य किसी योजना से आच्छादित ना होने की दशा में ही किया जाएगा, यद्यपि अन्य मिशन/योजनाओं से Convergence/ Dovetailing के माध्यम से धनराशि सम्मिलित करते हुए परियोजनाओं का कार्यान्वयन इस योजना में कराया जा सकता है।
2. निकाय क्षेत्र में पूर्व से प्रचलित ग्राम्य विकास विभाग/अन्य विभागों की प्रभावी योजनाओं अथवा पूर्व में ग्राम पंचायत के रूप में हुये/हो रहे समस्त कार्यों को जनोपयोगी बनाने हेतु तत्काल पूर्व प्राप्त/अवशेष धनराशि से पूर्ण कराया जायेगा, धनराशि अपर्याप्त होने की दशा में CM-NSY मद से कार्य पूर्ण कराये जा सकेंगे।

13. योजनान्तर्गत चयनित परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का प्रावधान?

सीएम–एनएसवाई के अन्तर्गत न्यूनतम पांच वर्ष के लिए ओएण्डएम की व्यवस्था यूजर चार्जेज अथवा अन्य रेवेन्यू मॉडल्स (सामुदायिक केन्द्र एवं शौचालय हेतु) के माध्यम से की जायेगी।

14. योजना का अनुश्रवण/निगरानी तंत्र क्या है?

योजना का त्रिस्तरीय अनुश्रवण किया जायेगा–

(i) निकाय स्तर।
(ii) जिला स्तर।
(iii) निदेशालय स्तर (CM-NSY डैशबोर्ड)

15. योजना की बजट व्यवस्था क्या है?

योजना हेतु वर्तमान वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में निम्नवत बजट व्यवस्था की गयी है–

(रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	नगरीय निकाय का नाम	धनराशि
1	नवसृजित नगर पंचायत	366.30
2	सीमा विस्तारित नगर पंचायत	53.35
3	सीमा विस्तारित नगर पालिका पालिका परिषद	58.85
4	सीमा विस्तारित नगर निगम	71.50
	योग	**550.00**

Steps for Plan Formulation in CM-NSY

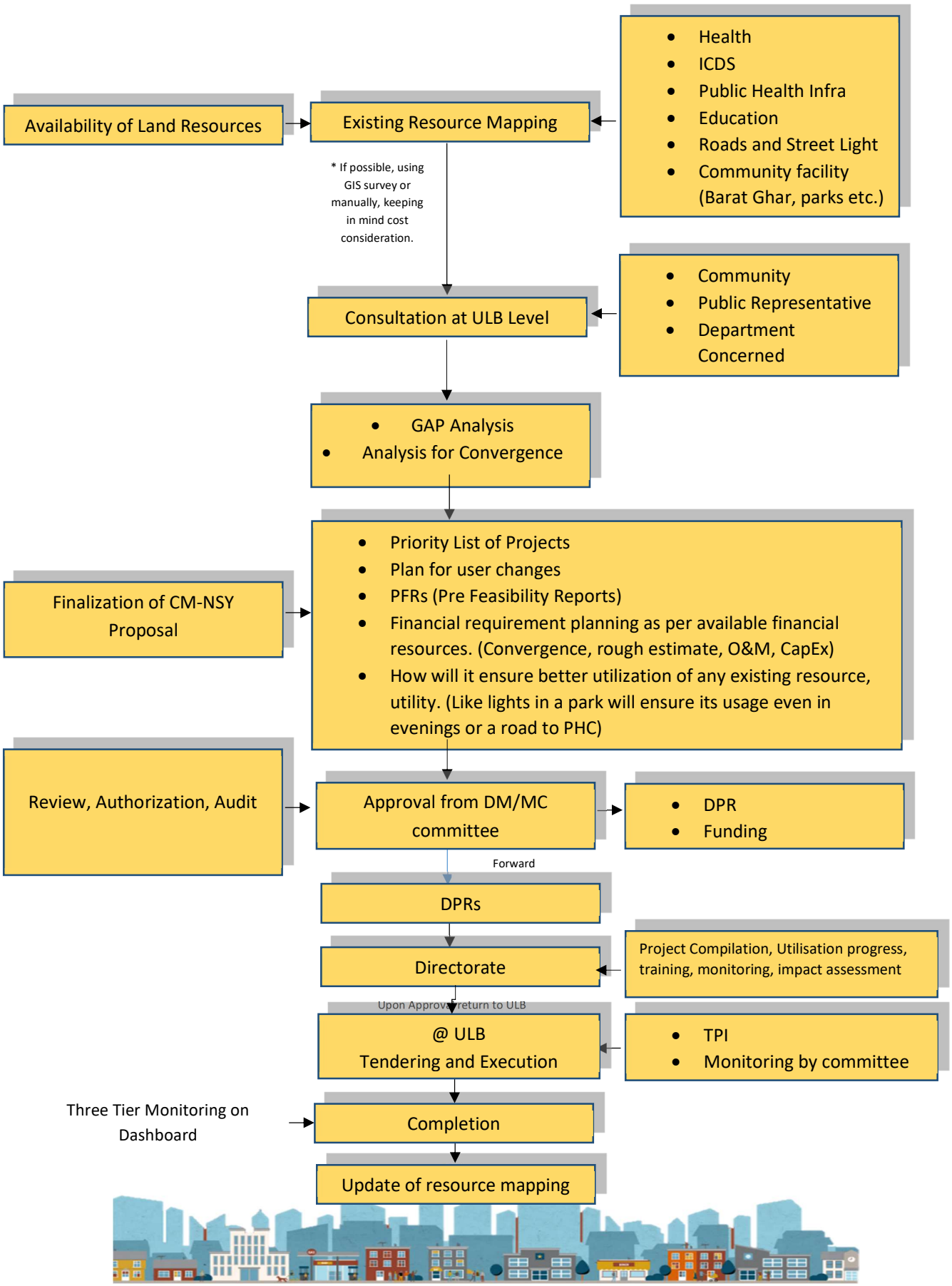

Annexure - I

Check List of Documents/Information in the DPR

1. State :
2. City :
3. Name of ULB :
4. Population of ULB :
5. Project Name :
6. Project Cost (Rs in Lacs) :

S.No.	Description	Yes	No
1	Duly authenticated admin. & Tech. checklist of DPR is enclosed		
2	Duly authenticated Executive Summary is enclosed		
3	Duly authenticated Detailed cost estimates are enclosed		
4	Following duly authenticated drawings enclosed: • Location plans • Survey maps and contour plans • Existing area layout and service plans • Architectural & Structural drawings • L-section/Cross-sections/Elevations as applicable for roads, drains, sewer etc. • GIS Mapping of Households.		
5	Following duly authenticated annexures enclosed: • List of Beneficiaries/No of household • Copies of statutory approval required • Photographs of existing area covering housing and infrastructure conditions and micro-planning		

***It is verified that above mentioned documents are annexed**

Signature of the Committee head (D.M/M.C) Name & Designation: Address: Telephone No. Mobile No. E-mail.	**Signature of the Nodal Officer of ULB** Name & Designation: Address: Telephone No. Mobile No. E-mail.

Annexure – I

Check List of Documents/Information in the DPR

7. State :
8. City :
9. Name of ULB :
10. Population of ULB :
11. Project Name :
12. Project Cost (Rs in Lacs) :

S.No.	Description	Yes	No
1	Duly authenticated admin. & Tech. checklist of DPR is enclosed		
2	Duly authenticated Executive Summary is enclosed		
3	Duly authenticated Detailed cost estimates are enclosed		
4	Following duly authenticated drawings enclosed: • Location plans • Survey maps and contour plans • Existing area layout and service plans • Architectural & Structural drawings • L-section/Cross-sections/Elevations as applicable for roads, drains, sewer etc. • GIS Mapping of Households.		
5	Following duly authenticated annexures enclosed: • List of Beneficiaries/No of household • Copies of statutory approval required • Photographs of existing area covering housing and infrastructure conditions and micro-planning		

- It is hereby confirmed that all the documents mentioned in the checklist have been verified and annexed with the DPR.

Signature of the Committee head (D.M/M.C) Name & Designation: Address: Telephone No. Mobile No. E-mail.	**Signature of Mayor/Chairman** Name & Designation: Address: Telephone No. Mobile No. E-mail.	**Signature of the Nodal Officer of ULB** Name & Designation: Address: Telephone No. Mobile No. E-mail.

Annexure - II

UTILIZATION CERTIFICATE : CM-NSY

Format of Utilization Certificate

Name of work:- ---------- U.L.B. ----------(Name)

S.No.	G.O. No and Date	Released Amount (Rs. In Lacs)	Details of Grant Utilization
			Certified that out of Rs. ------ lacs of Grant-in-aid sanctioned during the year ---------- in favour of U.L.B. (Name) ---------- under this Ministry/department G.O. no. given in the margin and Rs.------- has been utilized for the purpose of (work name)---------- for which it was sanctioned.

It is certified that I have satisfied myself that conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled.

Cheif Engineer/ Executive Engineer/ Junior Engineer
(As Applicable)

Municipal Commissioner/EO
(As Applicable)

Required Documentation

1. **Executive Summary**

Project Details

1. Name of the City :
2. Name of the project :
3. Project cost (Rs in lacs) :
4. SOR Adopted :

2. **Project related Documents**

1. No Encumbrance Certificate by respective EO/MC
2. Structural Design
3. Estimated Bill
4. Bill of Quantity
5. Survey Map/GIS as applicable
6. Output/Outcome
7. Timeline/ Monthly Action Plan
8. Site Photograph along with EO & Executive Agency